No.ECS-H(I)B(2)2/94(Supdt.Gr.II) - 5775
Government of Himachal Pradesh,
Economics and Statistics Department.

Dated Shimla-171009, the 05 th Aug, 2009.

To

The Pr. Secretary(Eco.& Stat) to the
Government of Himachal Pradesh,
Shimla-171002.

Subject:- R&P Rules for the post of Supdt. Grade-II(Amendment).

Sir,

While inviting reference to the correspondence resting vide your Notification No.Plg.-A(3)3/2007, dated the 15th July, 2009, on the subject cited above, I am to enclose herewith five copies of rajpatra videwhich amendment for the post of Supdt. Grade-II is published.

Yours faithfully,

Economic Adviser,
Govt. of HP

Encl.As above.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 25 जुलाई, 2009 / 3 श्रावण, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-171002, *the* 22*th July*, 2009

No. FDS-F(10)8/2006.—In partial modification of this Department notification No. FDSF (10)8/2006 dated 3rd Oct, 2008 and 11-12-2008 the Food & Supplies Officer, Zonal Office Dharamshala will be member of the flying squad constituted for North Zone in place of Food & Supplies Officer, Una.

By Order,
Sd/-,
Secretary.

अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 15 जुलाई, 2009

संख्या पी0एल0जी0–ए(3)–3/2007 **(अधीक्षक ग्रेड–II).**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्याः पी0एल0जी0–ए(3)3/2007 (अधीक्षक ग्रेड–II) तारीख 12–9–2008 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, अधीक्षक ग्रेड–II, वर्ग–II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्.—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(*i*) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, अधीक्षक ग्रेड–II, वर्ग–II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2009 है।

(*ii*) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगें।

2. **उपाबन्ध "क" का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, अधीक्षक ग्रेड–II, वर्ग–II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 के उपाबन्ध "क" में.—

(क) स्तम्भ संख्या–11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्––

"वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका छह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो:

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—II. उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से, साधारणतः तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण.—II. उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होगें.—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी व भरमौर उप मण्डल।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा–क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरऊ के काठवाड , और कोरगा पटवार वृत, रेणुका जी तहसील के भलाड़–भलौना तथा सांगना पटवार वृत और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार वृत, बालीचौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगढ़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड, कटु गढ, ग्रामन, देवगढ, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भडवानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेड़ पटवार वृत, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच–बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे

वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएगें और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगें :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगें।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोब्लिाईज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नान–टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी"।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

[*Authoritative English Text of this Department's Notification No. Plg-A*(3)-3/2007*(Supdt. Gr.-II), dated* 15-7-2009 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India.*]

ECONOMICS AND STATISTICS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 15*th July*, 2009

No. Plg-A(3)- 3/2007(Supdt.Gr.-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Economics and Statistics Department, **Superintendent Grade-II, Class-II** (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2008, notified vide Notification No. PLG-A(3)3/2007(Supdt. Gr.- II), dated 12-09-2008, namely.—

1. **Short title and commencement.**—(*i*) These rules may be called the Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh, **Superintendent Grade-II,** Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2009.

(*ii*) These rules shall come in-to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

44

2. **Amendment of Annexure-"A".**—In Annexure-"A" to the Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh, **Superintendent Grade-II,** Class-II, (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008;

(*b*) For the existing provisions against column No.11, the following shall be substituted, namely.—

"By promotion from amongst the Senior Assistants with six years regular service or regular combined with continuous ad-hoc service in the grade".

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s)available in such areas;

Provided further that the proviso (1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation.—I. For the purpose of proviso (1) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation.—II. For the purpose of proviso(1) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under.—

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish, Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada- Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circles of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(I) In all cases of promotion, the continuous ad-hoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of

service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the ad-hoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules; provided that:

(II) In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on *adhoc* basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.— The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rules 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous ad-hoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the *adhoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad-hoc* service rendered as referred to above, shall remain unchanged.

By order
Sd/-
Principal Secretary.